न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 21/2019 जिला सीकर ।

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल।

हरसहाय पुत्र भगवानदास जाति स्वामी निवासी माधोकाबास तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र झुंथाराम जाति जाट निवासी ढाणी झुंथारिंह तन ग्राम माधो का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत भादवाडी तहसील खण्डेला जिला सीकर।
3. तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर दिनांक 22.10.2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 04.12.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील संख्या 47/2020

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट् श्री श्यामबाबू पारीक।
2. वकील रेस्पोडेंट्स संख्या 01 श्री ब्रिजराज गोतम।
3. रेस्पोडेंट संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक–18.08.2021

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 22.10.2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 04.12.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ दिनांक 21.06.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा शीर्षक अपील सुरजाराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भादवाडी में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 04.12.2020 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकण संख्या 15 दिनांक 08.03.1988 ग्राम पंचायत भादवाडी यथावत रखते हुये भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 2.85 है0 तन ग्राम माधो का बास में मु0 चौखली पत्नि भगतदास जाति स्वामी के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा अपीलार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.10.2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 04.12.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह द्वितीय अपील प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 15 को निरस्त किये जाने के आदेश जारी किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट् संख्या 02 बाद तामिल अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट् एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 एवं 03 की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट् के विद्वान अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारान को पक्षकार बनाने की आज्ञा दिनांक 16.10.2020 को प्रसारित कर दी गई एवं दिनांक 22.10.2020 को रेस्पोडेंट नं0 01 चौखली देवी को नाऔलाद फोत होना कहता है जबकि नाऔलाद फोत नही थी। अपीलांट् के हक में चौखली देवी ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पति की पंजीकृत वसीयत दिनांक 17.9.1993

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

को की है व उसकी मृत्यु दिनांक 17.7.2020 को हुई है। अपीलांट् चौखली देवी का एक मात्र विधिक उतराधिकारी था को एवं सभी खातेदारो को बावजूद आज्ञा के पक्षकार नही बनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण की प्रति रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पेश की गई लेकिन कोई विक्रय पत्र प्रस्तुत नही किया गया एवं नामान्तकरण के कॉलम नम्बर 10, 11 व 13 में ओवर राईटिंग थी। कोई नामान्तकरण खसरा नम्बर 292 का रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम नही भरा गया न ही खसरा नम्बर 282 के संबंध में ग्राम पंचायत भादवाडी द्वारा कोई आज्ञा प्रसारित की गई थी। उक्त ग्राम पंचायत का निर्णय जो मूल नामान्तकरण के पीछे अंकित है में भिन्न अक्षरो व भिन्न स्याही से खसरा नम्बर का स्वीकारोक्ति के पश्चात अंकन किया गया है व बाद में बढाया गया है। यदि गौर किया जाये जो खसरा नम्बर 281 को 292 बनाया गया है व 292 को 281 बनाया गया है। धारा 135 एल आर एक्ट के तहत नामान्तकरण स्वीकृत करने के अधिकार केवल विरासत से, सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री के आधार पर एवं पजीकृत दस्तावेज के आधार पर ही है। जब खसरा नम्बर 292 का कोई विक्रय पत्र है ही नही तो खसरा नम्बर 292 का नामान्तकरण हो ही नही सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मृत व्यक्ति के विरूद्ध होने से नलीटी व निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 15 में अंकित सभी खातेदारो को बिना पक्षकार बनाये निर्णय पारित किया गया है। विक्रय पत्र के विपरीत कोई आज्ञा है तो वह क्षैत्राधिकार बाहर आज्ञा है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के सहज एवं प्राकृतिक नियमो के प्रतीकुल होने से निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलांट् का कथन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर नामान्तकरण स्ंख्या 15 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 के योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये कथन किया है कि ग्राम माधो का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित पुराने खसरा नम्बर 281, 282, 283, 291 कुल किता 4 कुल रकबा 5.25 है0 के वर्तमान खसरा नम्बर 278, 279, 291 कुल किता 3 रकबा 5.60 है0 में से भूमि खसरा नम्बर 281 में दर्ज 3/10 हिस्सा की भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने मु0 चौखली देवी पत्नि भगतदास जाति स्वामी निवासी बस्ती बाढ वाली तन माधो का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 02.09.1987 को खरीद कर रेस्पोडेंट संख्या 01 काबिज काश्त चला आ रहा है। परन्तु पटवारी हल्का द्वारा चौखली देवी से साज कर उक्त रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर नामान्तकरण संख्या 15 में भूमि खसरा नम्बर 281 सम्पूर्ण में चौखली देवी के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा को छोडकर तस्दीक हेतु सरंपच ग्राम पंचायत भादवाडी के समक्ष पेश किया गया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत भादवाडी ने भूमि खसरा नम्बर 281 को छोडते हुये नामान्तकरण स्वीकार करने का निर्णय दिनांक 08.03.1988 पारित कर दिया तथा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 281 में चौखली देवी के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा को छोडते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई है तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया है। जबकि विक्रय लेख के आधार पर खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 281 में से चौखली देवी के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज होना चाहिये था। नामान्तकरण संख्या 15 निर्णय दिनांक 08.03.1988 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत भादवाडी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के समक्ष एक अपील पेश कर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 15 निर्णय दिनांक 08.03.1988 सरपंच ग्राम पंचायत भादवाडी में पुराने खसरा नम्बर 281, 282, 283, 291 किन किता 4 कुल रकबा 5.25 है0 के वर्तमान खसरा नम्बर 278, 279, 291 कुल किता 3 रकबा 5.60 है0 में से भूमि खसरा नम्बर 281 रकबा 2.85 है0 मु0 चौखली पत्नि भगतदास जाति स्वामी के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 04.12.2020 पारित कर तन ग्राम माधो का बास प0ह0 भादवाडी तहसील खण्डेला में अवस्थित कृषि भूमि के संबध में भरे गये नामान्तकरण संख्या 15 दिनांकित 08.03.1988 को यथावत रखते हुये भूमि ख0न0 281 रकबा 2.85 है0 तन ग्राम माधोकाबास में मु0 चौखली पत्नि भगतदास जाति स्वामी के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट् खारिज फरमायी जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिलाा सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 04.12.2020 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट् खारिज फरमायी जावे।

8. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूवक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये दोनों प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद नामान्तरकरण संख्या 15 दिनांक 08.03.1988 वाके ग्राम माधोकाबास का है। रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के समक्ष नामान्तकरण संख्या 15 निर्णय दिनांक 08.03.1988 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत भादवाडी के विरूद्ध अपील पेश कर ग्राम माधो का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर में अवस्थित पुराने खसरा नम्बर 281, 282, 283, 291 किन किता 4 कुल रकबा 5.25 है0 के वर्तमान खसरा नम्बर 278, 279, 291 कुल किता 3 रकबा 5.60 है0 में से भूमि खसरा नम्बर 281 में दर्ज 3/10 हिस्सा की भूमि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने मु0 चौखली देवी पत्नि भगतदास जाति स्वामी निवासी बस्ती बाढ वाली तन माधो का बास तहसील खण्डेला जिला सीकर से जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख दिनांक 02.09.1987 को खरीद कर रेस्पोडेंट संख्या 01 काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा चौखली देवी से साज कर उक्त रजिस्टर्ड विकय लेख के आधार पर नामान्तकरण संख्या 15 में भूमि खसरा नम्बर 281 सम्पूर्ण में चौखली देवी के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा को छोडकर तस्दीक हेतु सरंपच ग्राम पंचायत भादवाडी के समक्ष पेश किया गया जिसे सरपंच ग्राम पंचायत भादवाडी ने भूमि खसरा नम्बर 281 को छोडते हुये नामान्तकरण स्वीकार करने का निर्णय दिनांक 08.03.1988 पारित कर दिया तथा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 281 में चौखली देवी के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा को छोडते हुये राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई है तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया है। विकय लेख के आधार पर खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 281 में से चौखली देवी के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 04.12.2020 पारित कर ग्राम माधोकाबास प0ह0 भादवाडी तहसील खण्डेला में अवस्थित कृषि भूमि के संबध में भरे गये नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 08.03.1988 को यथावत रखते हुये भूमि ख0न0 281 रकबा 2.85 है0 तन ग्राम माधोकाबास में मु0 चौखली पत्नि भगतदास जाति स्वामी के नाम दर्ज 3/10 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 01 के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये थे।

9. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट् प्रश्नगत नामान्तकरण संख्यां 15 दिनांक 08.03.1988 वाकै ग्राम माधोकाबास से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट् को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उपर्युक्त विवेचन से सपष्ट है कि अपीलाधीन आदेश विधिक प्रकिया को पूर्ण किये बगैर पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2020 एवं संशोधित आदेश दिनांक 04.12.2020 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित नामान्तकरण से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
11. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

18/8/2021

(बाबूलाल गोयल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

12. निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/8/2021.

(बाबूलाल गोयल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner